

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 368/2023
अनवान : -

1. गंगाराम पुत्र स्व० रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र स्व० रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. विध्या देवी पत्नी स्व० रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री स्व० रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. चरणा पुत्री स्व० रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 20/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी०पी०एम० तहसील नोहर के खाता संख्या 48/44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808/14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी०पी०एम० तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 7 पी०पी०एम० तहसील नोहर के खाता संख्या 43/48 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 169/53900 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामस्वरूप पुत्र तारूराम के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है रामस्वरूप पुत्र तारूराम का देहान्त हो चुका है रामस्वरूप पुत्र तारूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स० 1 ता 4 है जो रामस्वरूप पुत्र तारूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीया स० 2 जो की वादी की माता है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074-77 रोही मौजा बिरकाली बारानी खाता संख्या 434, 184, 433 प्रदर्श-1 ता 3, जमाबंदी सम्वत 2077-2080 रोही मौजा 7 पीपीएम खाता संख्या 48, 27, 43 प्रदर्श-4 ता 6, मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप प्रदर्श-7, चित्रप्रति सरंपच ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-8 ए आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता रामस्वरूप का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 48/44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808/14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 7 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 43/48 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 169/53900 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र तारूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा रामस्वरूप पुत्र तारूराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 48/44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808/14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 7 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 43/48 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 169/53900 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रामस्वरूप पुत्र तारूराम

का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/9/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 368/2023

अनवान : -

1. गंगाराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. विध्या देवी पत्नी स्व0 रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. चरणा पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 368 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 48/44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808/14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 7 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 43/48 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 169/53900 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रामस्वरूप पुत्र तारूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर